न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 125/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2012/00007)

1. श्रीमती जेठी देवी पत्नि श्री अशोक कुमार जाति सिन्धी निवासी वार्ड नं. 22 सरदारशहर जिला चूरू।
2. श्रीमती मैना देवी पत्नि प्रतापसिंह जाति सिन्धी निवासी वार्ड नं. 22, सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती अन्नी देवी पत्नि स्व. तखूराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. लिछमणराम पुत्र स्व. तखूराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. ग्राम पंचायत मालसर जरिये सरपंच ग्रा. प. मालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1.श्री धीरेन्द्रसिह भदोरिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री ओम प्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली– राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित 4.श्रीसुशील कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय दिनांकः 23–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 23.03.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 अन्नी देवी ने सरपंच ग्राम पंचायत मालसर के आदेश के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर मे अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 819 बाबत कृषि भूमि खेत ख. नं. 863/686 तादादी 109 बीघा 16 बिस्वा वाके रोही ग्राम मालसर को निरस्त किया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.03.2012 द्वारा इन्तकाल सं. 819 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार सरदारशहर को रिमाण्ड कर सभी पक्षो को सुनकर पुन नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1, के निमित सम्मन जारी किये गये, बाद तामिल प्राप्त होने पर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के अभिभाषक भी बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.1997 को ग्राम मालसर के ख. नं. 863/686 की 50 बीघा भूमि दो अलग अलग विक्रय पत्र से खरीदी थी, जिनके आधार पर बैयनामा इन्तकाल सं. 819 सही दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश होने के बाद रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी नही किये गये। इन्तकाल सं. 819 वर्ष 1998 का है जिसकी अपील लगभग 14 वर्ष बाद पेश की गई थी। जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी। अपीलान्ट की खरीद शुदा खातेदारी कब्जे कास्त की भूमि अलग अलग तरमीम है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेंन्ट सं. 1 व 2 के खाते अलग अलग है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर का आदेश दिनांक 23.03.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल सं. 819 को सही निरस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

प्रस्तत अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 23.03.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा ग्राम मालसर तहसील सरदारशहर के नामान्तरकरण सं. 819 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को प्रति प्रेषित किया गया है। नामान्तरकरण सं. 819 के मुताबिक 863/686 का रकबा 109 बीघा 16 बिस्वा अन्नी धर्म

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्नी तखूराम, लिछमणराम पुत्र तखूराम कौम जाट सा. देह खातेदार अंकित है। जिसमे से विक्रय पत्र दिनांक 23.04.1997 के आधार पर लिछमणराम द्वारा अपने 1/2 हिस्से मे से अपीलान्ट सं. 1 एव 2 को 25–25 बीधा भूमि का विक्रय किया है क्योकि संयुक्त खाते की भूमि से अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्र किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण हिस्से मे ही दर्ज होना चाहिये था, जबकि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट सं. 1 व 2 के अलग खाते कायम कर दिये गये जो कि विधि सम्मत नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 23.03.2012 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।